मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम रामदीलाल

किस्म मुकदमा दण्ड मु० नं० 22/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/5	विपक्षी सरकार अधिकारी के द्वारा सूचना भेजा गया। द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अग्रिमकार्यवाही की तारीख अगली पेशी 8-5-19 को तय हो उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	
23/5	अगली पेशी पर विपक्षी व सरकार गवाह उपस्थित। सरकार पक्ष ने अपने पेश किया कि इस प्रकरण का समझौता होकर राजीनामा पेश हो सकता है। अगली पेशी पर विपक्षी ने प्रकरण वापस लेने बाबत अर्जी दी। अतः अर्जी का अवलोकन कर धारा उपधारा 126 दण्ड प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत होकर फरमाया जाता है। 31/5/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	अगली पेशी पर विपक्षी व सरकार गवाह उपस्थित रहकर बयान दिया गवाही पूरी। प्रकरण को निष्पादित फरमावें। 31/5/19